राजस्थान सरकार
गृह (ग्रुप–9) विभाग

क्रमांक : प.33(2)गृह/ग्रुप–9/2019 जयपुर, दिनांक : 20.05.2020

1. समस्त जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, राजस्थान
2. पुलिस आयुक्त, जयपुर/जोधपुर
4. समस्त जिला पुलिस अधीक्षक, राजस्थान

विषय : लॉकडाउन 4 के क्रियान्वयन आदेश दिनांक 18.05.2020 के सम्बन्ध में स्पष्टीकरण।

इस विभाग द्वारा समसंख्यक आदेश दिनांक 18.05.2020 के सम्बन्ध में निम्न स्पष्ट किया जाता है :

1. मॉल में स्थित कार्यालय खुल सकते हैं, परन्तु कोई भी दुकान नहीं खुल सकती।

2. शैक्षणिक संस्थाएं (विद्यालय/महाविद्यालय, विश्वविद्यालय आदि) में कार्यालय केवल आवश्यक एवं गैर शैक्षणिक कार्य के लिए खुल सकते हैं। इन संस्थाओं में किसी भी प्रकार के शैक्षणिक कार्य अथवा विद्यार्थियों का प्रवेश नहीं होगा।

   उपरोक्त दोनों कार्यालयों में स्टाफ क्षमता आदेश दिनांक 18.05.2020 में जोनवार निर्धारित से अधिक नहीं होगी, यानी रेड जोन में 50 प्रतिशत से अधिक नहीं, ऑरेंज जोन में 66 प्रतिशत से अधिक नहीं एवं ग्रीन जोन में पूर्ण क्षमता तक। वर्क फ्रॉम होम प्रोत्साहित किया जायेगा।

3. बिंदु संख्या A (2) –निषिद्ध गतिविधियों– के उप बिंदु संख्या (v) में शामिल ''स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स'' विलोपित किया जाता है। इस सम्बन्ध में गतिविधि इसी बिंदु के (3) (i) में उल्लेखित है।

(राजीव स्वरूप)
अतिरिक्त मुख्य सचिव, गृह

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :–

1. प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री, राजस्थान।
2. महानिदेशक, पुलिस, राजस्थान।
3. समस्त संभागीय आयुक्त, राजस्थान।
4. समस्त महानिरीक्षक पुलिस/उपमहानिरीक्षक पुलिस, रेन्ज।
5. निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग।

शासन सचिव, गृह